

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र VISAKHAPATNAM STEEL PLANT
विशाखपट्टणम VISAKHAPATNAM

सं.No: HR/P&R/129

दि.Dt:02.06.2020

परिपत्र CIRCULAR NO. 12/2020

1. चरणबद्ध रूप से पुनःखोलने (अनलॉक 1) के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दि.30 मई, 2020 को जारी आदेश सं.40-3/2020-डी एम- I(ए) के क्रम में अगले आदेशों के जारी होने तक आर आई एन एल में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन होगा :

In pursuance to the order no. 40-3/2020-DM-I(A) dated 30th May, 2020 issued by Ministry of Home Affairs, Govt of India mentioning the Guidelines for Phased Re-opening (Unlock 1), the following guidelines shall be in place in RINL with immediate effect till further orders:

- (i) सार्वजनिक प्रदेशों, कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान अनिवार्य रूप से फेसकवर पहनना है।
Wearing of face cover is compulsory in all public places, work places and during transit.
- (ii) स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य स्थल, कैंटीन जैसे सार्वजनिक प्रदेशों में सभी कर्मचारियों को पहले की तरह सामाजिक दूरी का पालन किया जाना है।
All employees shall continue to maintain social distancing at work place, public place like canteens etc., as per the guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare.
- (iii) सभी अंशधारकों द्वारा, यदि इसके पूर्व आरोग्य सेतु एप नहीं लगाया गया तो तुरंत उसे लगाना है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से एप में स्वास्थ्य स्थिति को अद्यतन करते रहें।
All the stakeholders are required to install Aarogya Setu app if not done earlier. Employees are advised to regularly update the health status on the App.
- (iv) गुटका, तंबाकू आदि के सेवन पर सख्त प्रतिबंध होगा और सार्वजनिक क्षेत्रों में थूकना सख्त निषिद्ध है।
There shall be strict ban in usage of gutka, tobacco etc., and spitting in public places is strictly prohibited.

QA

- (v) कार्य स्थलों पर व्यवस्थित अनुसार सभी कर्मचारी के तापमान की जाँच/थर्मल स्कैनिंग जारी रहेंगे।

All employees shall continue to undergo temperature screening/thermal scanning as has been arranged at the work spot.

2. दि.02-04-2020 को जारी परिपत्र सं.07/20 में सूचितानुसार चिकित्सीय रूप से अतिसंवेदनशील श्रेणी कर्मचारियों, गर्भवती महिला कर्मचारियों और कंटेनमेंट जोन में रहनेवाले कर्मचारियों को कार्य स्थल पर उपस्थिति से छूट दी जाएगी।

Medically vulnerable category of employees as stipulated vide Circular No. 07/20 dated 02-04-2020, pregnant women employees and employees who are residing in containment zones will be exempted from attending at work places.

3. इस संबंध में यह परिपत्र इसके पूर्व जारी सभी परिपत्रों का अतिक्रमण करता है।

This supercedes all earlier circulars issued in this regard.

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.



(देबाशीष रे Debasish Ray)

कार्यपालक निदेशक (मा सं) ED(HR)

वितरण Distribution:

मानक Standard

यह परिपत्र This Circular is also available at:

<http://www.vspsite.org:86/hr/CorporatePersonnel/RulesandPolicies/OtherCirculars.aspx> में भी उपलब्ध है।